

19-7-23



पतावली आज परा दुई वकील इजाजत
व पैरोकार सरकार उपर तहसीलदार रूपनगढ़
की ओर से इजाजत की वालता रिपोर्ट प्राप्त,
जिसमें शामिल मिसल लिखा गया। प्रकरण में
उप लिखी प्रकर की कार्यवाही लांबित नही
होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर निरन्तर
चला जाता है।

पतावली फैमल शुगर दोर दर्ज
नामक के फम दोर लांबित दफ्त है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

19.7.23

